

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 356 सन 2022

अनवान :-

1. धनपत पुत्र सनुराम जाति मेधवाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
2. सावित्री पत्नी सनुराम जाति मेधवाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. चन्द्रकला पुत्री सनुराम जाति मेधवाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
2. मैना पुत्री सनुराम जाति मेधवाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
3. शारदा पुत्री सनुराम जाति मेधवाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा डूमासर के खाता संख्या 103/164 की कुल 15.1550 हैक् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व मृतक ताराचन्द पुत्र सनुराम व वादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व मृतक ताराचन्द के नाम से अन्य खातेदारों के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है जो पूर्व में उनके पूर्वज सनुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व ताराचन्द के नाम से दर्ज हुई है।

वादी संख्या 1 का भाई एवं वादी संख्या 2 का पुत्र ताराचन्द लावलद फोट हो चुका है जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो ताराचन्द के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा की अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादी संख्या 1 की बहने एवं वादी संख्या 2 की पुत्रीया है एवं मृतक सनुराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके सनुराम के देहानत होने पर विरास्तन से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव ताराचन्द के नाम से दर्ज हुई ताराचन्द लावलद फोट हो चुका है ताराचन्द के नाम दर्ज भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो ताराचन्द के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि

वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा डूमासर के खाता संख्या 103/164 की कुल 15.1550 है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व मृतक ताराचन्द पुत्र सनुराम व वादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व मृतक ताराचन्द के नाम से अन्य खातेदारों के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है जो पूर्व में उनके पूर्वज सनुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व ताराचन्द के नाम से दर्ज हुई है।

वादी संख्या 1 का भाई एवं वादी संख्या 2 का पुत्र ताराचन्द लावलद फोट हो चुका है जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो ताराचन्द्र के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा की अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादी संख्या 1 की बहने एवं वादी संख्या 2 की पुत्रीया है एवं मृतक सनुराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा डूमासर के खाता संख्या 103/164 की कुल 15.1550 है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व मृतक ताराचन्द पुत्र सनुराम व वादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज/पिता सनुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं ताराचन्द के नाम से दर्ज हुई ताराचन्द लावलद फोट हो चुका है जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो ताराचन्द के नाम दर्ज भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।


वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक

हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 103/164 की कुल 15.1550 हैव भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व मृतक ताराचन्द पुत्र सनुराम का नाम कलमजन किया जाकर 3/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के नाम एव 2/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :-

1. धनपत पुत्र सनुराम जाति मेधवाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
- 2 सावित्री पत्नी सनुराम जाति मेधवाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

- 1 चन्द्रकला पुत्री सनुराम जाति मेधवाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
- 2 मैना पुत्री सनुराम जाति मेधवाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
- 3 शारदा पुत्री सनुराम जाति मेधवाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
- 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण


**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 356 सन 2022 निर्णय दिनांक-07/06/2022**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 103/164 की कुल 15.1550 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व मृतक ताराचन्द पुत्र सनुराम का नाम कलमजन किया जाकर 3/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के नाम एव 2/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर